रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14112024-258655
CG-DL-E-14112024-258655

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 650]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 14, 2024/कार्तिक 23, 1946
No. 650]	NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 14, 2024/KARTIKA 23, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2024

सा.का.नि. 709(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के प्रारूप नियमों का और संशोधन करने के लिए, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 606 (अ), तारीख 30 सितंबर, 2024 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिनमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अन्तर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पहले आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए थे;

और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 01 अक्टूबर, 2024 को जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थीं;

और, केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर विचार कर लिया गया है।

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2024 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 62 के उप-नियम (1) के खंड (ख) में, "01 अक्टूबर 2024" शब्दों के स्थान पर "01 अप्रैल 2025" शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. आरटी-23013/2/2022-टी-पार्ट(1)]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, खंड 3, उप-धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून,1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 514 (अ) तारीख 14 अगस्त 2024 द्वारा पिछली बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November, 2024

G.S.R. 709(E).—Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 606 (E), dated the 30th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 01st October, 2024;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Eleventh Amendment) Rules, 2024.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 62 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in sub-rule (1), in clause (b), "for the word, letters and figures "01st October 2024", the word, letters and figures "01st April 2025" shall be substituted.

[F. No. RT-23013/2/2022-T-Part(1)]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended *vide* notification number G.S.R. 514(E) dated the 14th August, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.14 19:52:18 +05'30'